

# कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर

क्रमांक: मु.अ./अनु.ग्यारह/2018-19/डी- 64

दिनांक: 27/04/18

## परिपत्र

भारत सरकार के द्वारा दिनांक 01.07.2017 एवं उसके पश्चात किये गये निर्माण कार्यों एवं सेवा प्रदायों के अनुबन्धों पर माल एवं सेवा कर (GST) का प्रावधान किया गया है। इस सम्बन्ध में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के ध्यान में लाया गया है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के कुछ खण्ड कार्यालयों द्वारा निर्माण कार्यों पर GST पर TDS की कटौती की जा रही है। इस सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि GST पर TDS की कटौती अभी तक भारत सरकार के द्वारा लागू नहीं की गई है।

अतः सभी अधिनस्थ कार्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि निर्माण कार्यों एवं सेवा प्रदायों पर GST पर TDS की कटौती भारत सरकार द्वारा लागू करने पर ही की जाए।



(सुरेश कुमार वर्मा)  
वित्तीय सलाहकार  
सार्वजनिक निर्माण विभाग  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: मु.अ./अनु.ग्यारह/2018-19/डी- 64

दिनांक: 27/04/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव/वरिष्ठ निजी सहायक मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव/वित्तीय सलाहकार, सा.नि.वि., राज., जयपुर।
2. निजी सहायक, मुख्य अभियन्ता (भवन/एन.एच./पीएमजीएसवाई/एस.एस./पथ/यांत्रिक), सा.नि.वि., राज., जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता सा.नि.वि., (समस्त), राज.।
4. तकनीकी सहायक प्रथम/अधीक्षण अभियन्ता (भवन/एन.एच./पीएमजीएसवाई/एस.एस./यातायात/पथ/बी.ओ.टी./मैकेनिकल), सा.नि.वि., राज., जयपुर।
5. अधीक्षण अभियन्ता (समस्त वृत्त-कार्यालय), सा.नि.वि., राज.।
6. अधिशाषी अभियन्ता (मुख्यालय), सा.नि.वि., राज., जयपुर।
7. अधिशाषी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (समस्त), सा.नि.वि., राज.।
8. रक्षित पत्रावली।

5. निम्न पत्रावली, सा.नि.वि. के प्रमुख अति  
वेबसाइट पर अपडेट करके प्रेषित।

  
27-4-18  
10/10-1



(सुरेश कुमार वर्मा)  
वित्तीय सलाहकार  
सार्वजनिक निर्माण विभाग  
राजस्थान, जयपुर